भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2795
18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

किसान क्रेडिट कार्ड

2795. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार कितने मछुआरों, मत्स्य पालक समूहों, सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मछुआरों और मत्स्य पालकों हेतु राज्य / श्रेणी और वर्षवार कुल कितनी ऋण राशि स्वीकृत और संवितरित की गई है,

(ग) आन्ध्र प्रदेश में व्यक्तियों, समूहों और निकायों के तौर पर वर्गीकृत केसीसी लाभार्थियों की जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कोई विशेष जागरूकता कार्यक्रम अथवा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) व्यक्तियों, समूहों और सहकारी समितियों के लिए संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच के उपायों-सहित मछुआरों और मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड तक पहुंच में सुधार करने हेतु राज्यों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त किन्हीं लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख) वर्ष 2018-19 में भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा मछुआरों और मत्स्य पालकों तक विस्तारित की ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । आंध्र प्रदेश सहित सक्रिय केसीसी लाभार्थियों वाले व्यक्तिगत मछुआरों, मत्स्य किसान समूहों, सहकारी समितियों और एसएचजी का राज्यवार ब्यौरा और स्वीकृत राशि अनुबंध-I में दी गई है:

(ग) आंध्र प्रदेश में सक्रिय केसीसी लाभार्थियों की व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं द्वारा वर्गीकृत जिलावार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(घ) और (ड़) पात्र मछुआरों और मत्स्य किसानों को केसीसी सुविधा से परिपूर्ण करने और रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय और मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। सभी पात्र मछुआरों और मत्स्य किसानों तक पहुँचने के लिए 15 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक '2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान' भी शुरू किया गया है।

इस अभियान के दौरान, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभागों (आंध्र प्रदेश राज्य सहित) द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर केसीसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि दोनों तरीकों (सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑफलाइन और 'जनसमर्थ' पोर्टल (www.jansamarth.in) के माध्यम से ऑनलाइन) से प्राप्त आवेदनों की मौके पर जांच की जा सके। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मत्स्यपालन अधिकारियों को केसीसी अभियान के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वे बैंकों से केसीसी ऋणों की समय पर स्वीकृति और मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) के साथ समन्वय करते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) मछुआरों के लिए पात्र केसीसी कार्यशील पूंजी ऋणों की मंजूरी की सुविधा के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक केसीसी ऋण शिविरों का आयोजन कर रही है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025-26 में, भारत सरकार ने मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए केसीसी ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इसके अतिरिक्त, केसीसी मात्स्यिकी के लिए कोलेटरल फ्री ऋण सीमा 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी है। 31 दिसंबर 2024 तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 20,466 केसीसी प्रस्ताव लंबित हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के 1,346 प्रस्ताव शामिल हैं। लंबित प्रस्तावों की स्थिति की नियमित रूप से जिला कलेक्टर और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा समीक्षा की जाती है।

***

अनुबंध।

किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार कुल ऑपरेटिव केसीसी की संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25 (31.12. 2024 तक)	
	केसीसी की संख्या	बकाया राशि (रुपए करोड़ में)	केसीसी की संख्या	बकाया राशि (रुपए करोड़ में)	केसीसी की संख्या	बकाया राशि (रुपए करोड़ में)	केसीसी की संख्या	बकाया राशि (रुपए करोड़ में)
अंडमान और निकोबार	472	2	490	2	654	2.12	652	2.10
आंध्र प्रदेश	**7,394**	**934**	**8,010**	**1,327**	**14,716**	**2,439.66**	**15,234**	**2,765.42**
अरुणाचल प्रदेश	46	0	68	1	68	0.74	63	0.80
असम	1,299	10	2,280	16	2,061	17.70	1,842	16.80
बिहार	604	8	570	7	812	11.40	795	11.65
चंडीगढ़	1	0	-	-	0	0.00		
छत्तीसगढ	898	9	1,143	10	1,318	13.79	1,379	15.25
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	535	13	586	21	545	22.79	560	25.18
दिल्ली	-	-	-	-	156	0.88	104	0.49
गोवा	453	11	529	8	1,155	13.97	538	11.55
गुजरात	5,098	120	6,882	176	7,838	247.29	9,552	304.68
हरियाणा	361	5	472	6	1,248	17.67	539	8.64
हिमाचल प्रदेश	524	5	625	6	926	10.40	1,509	16.97
जम्मू और कश्मीर	654	8	679	7	995	8.26	839	6.29
झारखंड	1,835	9	1,827	10	2,973	14.18	1,163	7.97
कर्नाटक	2,483	29	6,533	55	4,837	77.46	5,659	74.32
केरल	4,802	78	8,639	132	7,935	162.05	12,271	243.59
लद्दाख	884	16	11	0	14	0.23	22	0.30
लक्षद्वीप	2	0	242	3	4,886	16.64	1,090	11.18
मध्य प्रदेश	5,482	14	18,269	29	3,485	15.32	6,305	19.29
महाराष्ट्र	5,585	39	6,670	51	5,750	52.25	6,709	65.60
मणिपुर	211	3	308	3	324	2.05	308	3.73
मेघालय	121	0	199	1	638	5.62	206	0.71
मिजोरम	50	1	95	1	70	1.25	377	5.09
नागालैंड	6	0	74	1	44	0.41	36	0.33
उड़ीसा	1,084	17	975	72	1,661	99.30	2,233	84.49
पुदुचेरी	251	1	1,106	16	2,567	40.72	3,331	59.86
पंजाब	731	11	918	14	885	15.04	736	13.53
राजस्थान	843	7	999	10	1,288	13.83	1,153	12.59
सिक्किम	40	1	44	1	100	0.97	146	1.40
तमिल नाडु	4,481	59	12,036	179	32,901	599.36	40,237	755.93
तेलंगाना	3,664	16	3,973	26	2,263	16.42	1,607	18.57
त्रिपुरा	1,902	13	10,345	29	3,364	15.33	3,163	15.20
उत्तराखंड	286	4	381	4	2,145	22.92	5,476	66.70
उत्तर प्रदेश	4,012	43	5,481	57	3,748	45.78	510	6.86
पश्चिम बंगाल	3,001	42	5,041	65	5,155	72.60	4,522	2,688.56
कुल	**60,095**	**1,531**	**1,06,500**	**2,344**	**1,19,525**	**4,096.42**	**1,30,866**	**7,342**

अनुबंध – II

किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: आंध्र प्रदेश में जिले-वार केसीसी लाभार्थियों की कुल संख्या

क्र. सं.	ज़िला	व्यक्तिगत (खातों की संख्या)	किसान समूह (खातों की संख्या)	स्वयं सहायता समूह (खातों की संख्या)	सहकारी समितियां (खातों की संख्या)
1	अल्लूरी सीता रामाराजू	142	0	0	0
2	अनकापल्ली	1426	0	0	0
3	अनंतपुर	394	0	0	0
4	अन्नमय्या	73	0	0	0
5	बापतला	608	1	0	0
6	चित्तूर	468	0	0	0
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	375	0	5	0
8	पूर्वी गोदावरी	1136	0	4	0
9	एलुरु	1656	2	93	11030
10	गुंटूर	5203	0	0	0
11	काकीनाडा	423	18	2	0
12	कृष्ण	25828	10	45	4908
13	कुरनूल	1080	10	0	0
14	नांदयाल	1517	206	5	0
15	एनटीआर	6793	0	0	14
16	पलनाडु	540	0	0	0
17	पार्वतीपुरम मन्यम	719	0	0	0
18	प्रकाशम	3284	24	0	0
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	1990	5	0	0
20	श्री सत्य साईं	124	0	0	0
21	श्रीकाकुलम	1855	14	0	0
22	तिरुपति	540	0	0	0
23	विशाखापत्तनम	1359	9	16	0
24	विजयनगरम	665	0	0	0
25	पश्चिमी गोदावरी	2091	35	78	0
26	वाईएसआर कडप्पा	608	0	2	0
	कुल	60897	334	250	15952

****